

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 284/2021

तारीख रजू 08.06.2021

दावा बावत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती

तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उनवान- श्रीमति मीना बनाम हरभान सिंह

मिशल आई0डी0 नम्बर 2021/184

श्रीमति मीना पत्नि रामसिंह वगै० जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन जिला करौली

--वादीगण 05

हरभान सिंह पुत्र रामसिंह वगै० जाति जाट निवासी जाट की सराय तहसील हिण्डौन जिला करौली

वनाम

--प्रतिवादीगण 14

दिनांक	फर्द अहकाम
3.06.2021	<p>आज यह वाद पत्र वादीगण की ओर से मुरारी लाल करसौलिया एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.06.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(सुरेश कुमार यादव) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>
24/6/2021	<p>पत्रावली दिनांक 24/6/2021 को पेश हो। पुनः पत्रावली दिनांक 7-7-2021 को पेश हो।</p>
7/7/2021	<p>पत्रावली दिनांक 7/7/2021 को पेश हो। वादी व वादी वकील उपस्थित। वादी व वादी वकील ने अवगत कराया कि वादी वकील प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते हैं। वादी प्रकरण नोटिस में शामिल करना चाहते हैं।</p> <p style="text-align: right;">अति: मु.व. 0284/2021 दावा मीना बनाम हरभान सिंह नोटिस में शामिल किया जा रहा है। पत्रावली मुरारि कुमार धीरे रखकर मैं कर रही।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)</p>

Not Aggs
Sh
मीना
E. Sentin
by
CS 21/2/2021

